तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06 /2022	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट **बेरा** पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थीगण** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थीगण** द्वारा ग्राम **जसवन्तपुरा प0ह0 बेरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बेरा तहसील बनेड़ा** जमाबंदी संवत् **2073 से 2076** तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी/सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थीगण** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.07.11 16:09:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग फोलो अप केम्प बेरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

[illegible] नम्बर – 06 /2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

[illegible] पुत्री केला रेगर निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] पिता केला रेगर निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] पिता मोडा रेगर निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] पत्नी केला रेगर निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] पिता केला रेगर निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] पिता हेमा रेगर निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] पिता केला रेगर निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] पिता हेमा रेगर निवासी जसवन्तपुरा

–प्रार्थीगण

बनाम

[illegible] पिता [illegible] सुथार निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] पिता लाला सुथार निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] पिता शंकर लाल पारीक निवासी जसवन्तपुरा
[illegible] राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

[illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 25/05/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **जसवन्तपुरा** तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में [illegible] आराजी नम्बर 836, 839, 840 कुल **किता 3** रकबा **1.0497 है0** के खातेदार काश्तकार है। [illegible] आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत [illegible] के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए [illegible] अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर [illegible] के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल [illegible] का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम जसवन्तपुरा तहसील [illegible] जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 836, 839, 840 कुल किता 3 रकबा 1.0497 है0** [illegible] प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी है। **प्रार्थीगण** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि [illegible] कराने के अधिकारी [illegible] पक्षकार का राजस्व अभिलेख में [illegible] प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है [illegible] किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये [illegible] अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी [illegible] पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.07.11 16:09:50 IST
Reason: SelfAttested

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत [illegible] किया जाकर **ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की**

खसरा नम्बर 836, 839, 840 कुल किता 3 रकबा 1.0497 है0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **बेरा** को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **बेरा** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **बेरा** पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.07.11 16:09:50 IST
Reason: SelfAttested